न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 29 / 2025

बउनवान

दिलकुश आयु 34 वर्ष पुत्र श्री पुष्पचंद जाति धाकड़, निवासी रायपुरिया, तहसील अन्ता जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 31.12.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 24.10.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रायपुरा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 0.10 है. किस्म चारागाह, पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 24.10.2024 को निर्णय पारित कर 50 / –रूपये शास्ति आरोपित कर तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2024 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 17:48:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अंधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2079 रबी में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 26/22 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया संपूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 133 रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह ग्राम रायपुरा पर सम्वत् 2079 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 26/22 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 3/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 17:48:08 IST
Reason: SelfAttested